न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील 265/2019 जीसीएमएस नं. 2019/00174

1. प्रभूदयाल पूत्र नाथू जाति जाट निवासी केरली की ढाणी, कालवाड रोड बीड हाथोड, तहसील व जिला जयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर जरिये सचिव
2. अभिनव जाजू पुत्र श्री महेश कुमार जाजू जाति महाजन निवासी ई—116 बी बिहारी मार्ग, बनीपार्क, जयपुर।
3. सुखदेव पुत्र नाथू जाति जाट निवासी केरली की ढाणी कालवाड रोड बीड हाथोद, तहसील व जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जयपुर जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 90—ए(9) राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 (संशोधन) अधिनियम 2012 विरूद्ध निर्णय दिनांक 08.08.2019 क्रमांकः— LU 2012/JDA/2019-2020/10038 प्राधिकृत अधिकारी (जोन—12) जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

उपस्थित—

1. श्री भगवान सहाय शर्मा, वकील अपीलान्ट
2. श्री आशीष कुमार गौतम, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से
3. श्री सीताराम कुमावत, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से
4. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक —03.04.2024

1. यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी जोन—12, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के निर्णय दिनांक 08.08.2019 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्राधिकृत अधिकारी, जोन—12 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रभूदयाल पूत्र नाथू द्वारा यह प्रथम अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश प्राधिकृत अधिकारी, जोन—12, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर दिनांक 08.08.2019 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 3 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश कर ग्राम बीड हाथोज तहसील व जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या 16 पुराना 18 के खसरा नंबर 184 रकबा 42 बीघा 10 बिस्वा में रेस्पोडेंट संख्या 3 स्वयं का हिस्सा 1/6 में से 1/2 अर्थात् कुल में से 1/12 हिस्सा एवं खसरा नं. 17 पुराना 20 के खसरा नं. 183 रकबा 51 बीघा 13 बीस्वा मे स्वयं का हिस्सा 1/6 में से 1/2 अर्थात कुल में से 1/12 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंकित कर कथन किया कि जमाबंदी संवत 2073–2076 में राजस्व रेकार्ड मह हिस्सेदार अपीलार्थी, रेस्पोडेंट संख्या 3 व अन्य के नाम से संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाकर वादी/रेस्पोडेंट संख्या 3 का वाद प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री किया गया। बाद प्राप्त विधि विरूद्ध कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 13.05.2019 को अन्तिम निर्णय एवं डिक्री पारित की। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने दो अलग–अलग अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। दिनांक 13.08.2019 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.05.2019 की क्रियान्विति स्थगित करते हुए वादग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये। जिसकी जानकारी होने के पश्चात् भी रेसपो0 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध नियमित प्रथम अपील धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विचाराधीन रहते हुए विवादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 183 जिसके बाद विभाजन बने खसरा नंबर 183/1 के बाबत आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु खातेदारी अधिकारो के निर्वापन के लिए अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–12 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के समक्ष आवेदन पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमित अपील के विचाराधीन रहते हुए विधि विरूद्ध तरीके से रेस्पोडेंट संख्या 3 के द्वारा जानबुझकर तथ्यो को छिपाते हुए अपीलाधीन आदेश अपीलार्थी सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.08.2019 पारित किया है। जबकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष अपील संख्या 246/2019 लम्बित है। फिर भी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.05.2019 के विरूद्ध अपील में लम्बित रहते हुए खसरा नंबर 183/1 के बाबत धारा 90ए एवं भू–राजस्व अधिनियम 1956 की कार्यवाही की गई। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय कत्तेई परवर्स आर्बीट्रेरी कोन्ट्रेरी टू लॉ होने के कारण अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.08.2019 निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर प्राधिकृत अधिकारी जोन–12 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा जारी अनुज्ञा निर्णय दिनांक 08.08.2019 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने कृपा करे।

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट की अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि ग्राम बीड हाथोद तहसील व जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या 16 पुराना 18 के खसरा नंबर 184 रकबा 42 बीघा 10 बिस्वा में रेस्पोडेंट संख्या 3 स्वयं का हिस्सा 1/6 में से 1/2 अर्थात् कुल में से 1/12 हिस्सा एवं खसरा नं. 17 पुराना 20 के खसरा नं. 183 रकबा 51 बीघा 13 बीस्वा मे स्वयं का हिस्सा 1/6 में से 1/2 अर्थात कुल में से 1/12 हिस्सा के सहखातेदार में विधिअनुरूप न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा बाद प्राप्त विधि अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 13.05.2019 को अन्तिम निर्णय एवं डिक्री पारित की एवं विधिवत ही प्रार्थी द्वारा आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु खातेदारी अधिकारो के निर्वापन के लिए अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–12 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के समक्ष आवेदन पेश किया। एवं जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर जोन सी–2 के द्वारा उचित अपीलाधीन निर्णय

संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक 08.08.2019 पारित किया है अपीलांट द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के निर्णय दिनांक 23.04.2002 के खिलाफ बेबुनीयाद गलत नीयत से हैरान व परेशान करने के लिए झूठी अपील पेश की गयी है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी उसे दिनांक 23.09.2019 से प्राप्त होने पर बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। हमने पत्रावली का अवलोकन करते हुये पाया कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से खसरा नं. 183/1 अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट तथा अन्य काश्तकार की संयुक्त कृषि भूमि रही है जिसके संबंध में रेस्पोडेण्ट के पक्ष में उपंखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये विभाजन की डिक्री की गई। जिसकी अपील अपीलार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर में प्रस्तुत की एवं अपील के पेन्डिग रहते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.08.2019 पारित किया गया जो स्पष्टतया नियमित अपील के तथ्यों को कन्सील कर प्राप्त किया गया निर्णय है। कानूनन प्रथम अपील वाद का नियमित रूप है। जिसके लम्बित रहते हुये अपीलाधीन निर्णय को बहाल रखा जाना न्यायोचित नहीं है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहखातेदारों को बिना सुनवाई साक्ष्य का अवसर दिये ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन बाबत् बीड हाथोज जिला जयपुर स्थित खसरा नं. 183/1 का कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन हेतु अपीलाधीन आदेश पारित किया हैं जो बिना विधिक विभाजन के पारित किया गया है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत् नहीं है जिसे निरस्त किया जाना उचित समक्षते हैं।

अतः आदेश है किः– अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–12, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बाबत् बीड हाथोज जिला जयपुर स्थित खसरा नं. 183/1 दिनांक 08.08.2019 निरस्त किया जाता है।

(डॉ0 आरुषि मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 03.04.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।